



भाजपा सरकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी?

इस संभावना से आतंकित जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया और जब भाजपा हाईकमान त्याग पर कार्यवाही नहीं कर रहा था तो धनखड़ ने इस्तीफे की खबर अपने टिवटर हैंडल पर डाली

-रेपु मित्तल-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लॉगो-
नई दिल्ली, 22 जुलाई क्या मोदी सरकार बिहार रही है? क्या नेताओं का असंतोष मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहचान बनता जा रहा है, यद्यपि वे हर घटनाकाल के कथानक पर नियन्त्रण करते की कोशिश तथा सिफ़े अपनी बात मनवाने और 'यस सर' कहने वाली संस्कृति को सुनिश्चित कर रहे हैं?

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उससे जुड़े तात्पर विवादों से यह साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार किसी भी असहमती का नाम नहीं दे सकती। सरकार का स्टॉप और सीधे संबंध है - इस सरकार में सिफ़े हाँ में हाँ मिलने वालों के लिए ही जगह है।

चाहे यह उपराष्ट्रपति से इस्तीफा मांगा गया हो या उहोंने खुद समझकर इस्तीफा दिया हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों का नतीजा एक ही है - प्रधानमंत्री और उनकी टीम की साथ को बड़ा झटका लगा है।

खबर है कि सरकार उपराष्ट्रपति और

- वैसे भी धनखड़ आरएसएस के नजदीक माने जाते हैं तथा संघ के दबाव में ही धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था और उसके पहले परिचय बंगाल का राज्यपाल।
- कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत व प्र. मंत्री नरेन्द्र मोदी के तनाव की स्थिति की भी कुछ छाया तो नहीं है, धनखड़ प्रकरण पर।
- इसके अलावा, हाल ही में अपनी कोटा यात्रा के दौरान, धनखड़ ने काफ़ी तीखी आलोचना की थी, कोटा की कोविंग क्लॉसेज की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस पर भारी आपत्ति की थी, क्योंकि अधिकार बिड़ला इन्स्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक ओम बिड़ला के नजदीक के लोग बताये जाते हैं। ओम बिड़ला ने अपनी आलोचनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।
- कई साल अनुत्तरित हैं, इस प्रकरण में, जिनका जवाब आना अभी बाकी है।

राजसभा के सभापति के खिलाफ़ रही थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दोहरा बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ

मनियों के साथ बैठक की और फैसला किया कि अब कार्यवाही का समय आ गया है। राजनय संघ से भेजे गए संसदीयों को फैसले के प्रतिवाप पर हस्ताक्षर करवाने को कहा गया। कुछ मनोनीत संसदीयों को भी बुलाया गया और सभी से इस बात को गोपनीय रखने को कहा गया। धनखड़ ने जिस्टिस बर्मा के महाविधियों पर विवाद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार चाहती थी कि प्रश्नाचार के इस मुद्दे पर पहल वही को बताया गया है कि उहोंने इस पर नेतृत्व को सुनित किया। उहोंने 'अपेक्षा सिद्ध' पर वहस की भी अनुमति दे दी, एक संघिन विवाद को अपनी आलोचनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।

वह ही मुझ था, जिससे मोदी सरकार बचना चाहती थी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान के साथ सीमित बात तो ही हुई थी। धनखड़ को लगाने लगा था कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मिंग-21 की भारतीय वायु सेना से विदाई होगी

नई दिल्ली, 22 जुलाई भारतीय वायु सेना रूप निर्वित मिंग-21 लड़ाकू विमानों को सिंतबर में सेवानिवृत्त कर देंगी। करीब 62 साल तक भारतीय वायु सेना को सेवा देने के बाद मिंग-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समरोह में विदाई दी जाएगी। मिंग-21 को 1963 में वायु सेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्रवाईयों में भाग लिया है। एक हल्का विपरीत रूप से मिकोयान-युरोविच डिजाइन ब्लॉगो-ने इसे

■ सूत्रों ने बताया कि 62 साल वायु सेना में सक्रिय रहे हैं इन विमानों को चंडीगढ़ एयर बेस पर एक समारोह में विदाई दी जाएगी।

1959 में बनाना शुरू किया गया था। यह विमान 18 हजार मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है ये एयर ब्रैट एवं अर्डेंटोर में नेतृत्व को सुनित किया। उहोंने 'अपेक्षा सिद्ध' पर वहस की भी अनुमति दे दी, एक संघिन विवाद को अपनी आलोचनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।

वह ही मुझ था, जिससे मोदी सरकार बचना चाहती थी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान के साथ सीमित बात तो ही हुई थी। धनखड़ को लगाने लगा था कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या जगदीप धनखड़ प्रकरण 'मैच फिक्सिंग' का मामला है?

अंततोगत्वा कांग्रेसाध्यक्ष को धनखड़ प्रकरण पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी

-रेपु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लॉगो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई जगदीप धनखड़ के इस्तोने ने कांग्रेस पार्टी को भीतर से ज़क़ाज़ार दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष खिलाफ़ के इस्तोने ने साफ़ कहा है कि धनखड़ जाएं या नहीं, यह बोलेंगे का अंदरूनी समस्ता है। इस मुद्दे को इस्तेमाल देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से व्याप्त रहने के लिए विपरीत रूप से धूम लिया है।

इसमें बड़ी भूमिका खिलाफ़ के उन्होंने को अपने बातों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है जो पूर्व उपराष्ट्रपति की खुलकर तारीफ़ कर रहे हैं।

इनमें सबसे प्रमुख है एआईसीसी मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने, जगदीप धनखड़, जो कि कुछ दिन पूर्व तक कांग्रेस के शत्रु नंबर एक थे, की खुली तारीफ़ करके बड़ी अटपटी स्थिति पैदा की।

कई नेताओं व संसदीयों ने खड़गे से मिलकर जयराम की इस्तोने को खिलाफ़ शिकायत की।

गत दिसंबर माह में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के इस्तोने को धनखड़ प्रकरण पर एक बात योग्यता देश से जुड़े अन्य विपक्षी दलों के उन्होंने को अपने साथ ले जाएं और नेताओं को अपने साथ ले जाएं तो सभी दलों ने खड़गे से व्याप्ति की जयराम रमेश को अपनी नाम गलत लिख दिया था तथा अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देने की अनिवार्य औपचारिकता भी पूरी नहीं थी।

परन्तु, अब स्वयं भाजपा सरकार धनखड़ को कठघरे में खड़ा कर देना चाहती है। अतः कथानक एक बार फिर गहरा रहा है।

जबादेही व संयम की ज़रूरत पर ज़ेरो दिया गया है। उहोंने जहां तक संभव हो सका, कांग्रेस विपक्षी दलों की इस्तोने को खिलाफ़ शिकायत की। जयराम रमेश ने साफ़ कहा है कि धनखड़ जाएं या नहीं, यह बोलेंगे का असहज आर्द्धोंटी और बर्मा को अपने साथ ले जाएं तो सभी दलों की खड़गे से मिलकर जयराम रमेश को अपनी नाम गलत लिख दिया जाना चाहिए। उहोंने एक स्पष्ट संदेश दिया है जो पूर्व उपराष्ट्रपति की खुलकर तारीफ़ कर दिया है।

कई नेताओं और सासांस ने खड़गे से इस पर नाराज़ी जारी, जिसके बाद खड़गे से सार्वजनिक रूप से पार्टी की स्थिति पैदा की जाती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में 7 नये न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस भेजा

मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आए 'प्रैसिडेंशियल रैफरेंस' पर यह नोटिस भेजा गया है।

■ सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआई बी.आर. गवर्नर के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान बैंच ने नोटिस जारी करने के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख दी है, साथ ही एटर्नीज़ जनरल आर. वैक्टरमणी को कोर्ट की साहायता करने का निर्देश दिया है।

गैरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बैंच ने 8 अप्रैल 2025 को फैसला दिया था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को दबाव रखने की अनुमति दी गयी है। उहोंने यह निर्देश भी दिया, कि जब राज्यपाल कोई देशी हो तो राष्ट्रपति को उस पर तीन माह में निर्णय लेना होगा और कोई देशी हो तो संबंधित राज्य को बताना होगा, इस निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को विधेयक पर 'पॉकेट वीटो' या 'पूर्ण वीटो' का हक नहीं है।

इस आदेश पर 15 मई को राष्ट्रपति मुर्मू